

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 3, 1974/पौष 13, 1895

No. 4] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 3, 1974/PAUSA 13, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd January 1974

SUBJECT.—*Export of Natural Rubber*

No. 1-ETC(PN)/74.—With immediate effect, Natural Rubber has been brought under Control vide E(C)O, 1968/AM(115) of todate.

2. It has been decided to canalise the export of Natural Rubber through the State Trading Corporation of India, Ltd., New Delhi.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1974

विषय.—प्राकृतिक रबड़ का निर्यात ।

सं० 1-ई० टी० सी० (पी०एम०)/74.—प्राकृतिक रबड़ को तत्काल नियंत्रण में ले लिया गया है । देखिए आज का निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968/ए एम०/(115) ।

2. प्राकृतिक रबड़ को राज्य व्यापार निगम, भारत लि०, नई दिल्ली के माध्यम से सरणीबद्ध करने का निश्चय किया गया है।

SUBJECT.—*Scheme for the licensing of Indian millmade cotton textiles including garments and made-ups for export to DEN MARK AND IRELAND (IRISH REPUBLIC) during the licensing year 1974.*

No. 2-ETC(PN)/74.—The Scheme relates to the export of all varieties of mill-made cotton fabrics, made-up items and readymade garments made out of mill-made fabrics from India to DENMARK AND IRELAND during the licensing year, 1st January, 1974 to 31st December, 1974.

2. For purpose of licensing the shipment period will be divided into two six-monthly periods, 1st January, 1974 to 30th June, 1974 and 1st July, 1974 to 31st December, 1974.

3. Licences under the Scheme shall be issued by the Office of the Jt. Chief Controller of Imports & Exports, Bombay, on the basis of quota certificate issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on the recommendations of the EEC-Austria Textiles Licensing Advisory Committee.

4. For the purpose of exports and issuance of quotas/licences, cotton textiles have been divided into the following two groups:—

Group I:—Cotton fabrics, grey or bleached mercerised or not:

Group I covers items classified under categories B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C and C1.

Group II:—Other cotton fabrics, made-up articles and miscellaneous articles of cotton:

Group II covers items falling under categories C2, C3, C4, C5, C6, C7, D, D1, D2, D3, D4, E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, F, F1, F2, F3 and F4.

Details of the items falling under the above categories are available with the Texprocl in the form of standardised categories and items falling under the same.

5. According to the agreement, imports of cotton textiles into Denmark and Ireland will be admitted by the respective competent Authorities only on presentation of the Green Certificates issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on the basis of which Danish and Irish Authorities would issue import licence.

6. Licences shall be valid for shipment from any port in India.

7. Licences and quotas shall not be transferable without the express consent, in writing of the E.E.C. and Austria Textiles Licensing Advisory Committee.

8. A non-refundable charge of Rs. 10/- per ton will be levied by The Cotton Textiles Export Promotion Council for the issue of quotas, subject to a minimum of Rs. 5/-.

9. All quota holders shall have to submit a monthly report to The Cotton Textiles Export Promotion Council, giving details of the shipment against individual licences issued to them. These statements should reach the Council by the 10th of the subsequent month.

10. The E.E.C.-Austria Textiles Licensing Advisory Committee shall (a) supervise the entire scheme; (b) keep a watch over the performance from time to time; (c) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the scheme; and (d) make such changes in the scheme as the Committee deems fit from time to time. The Licensing Committee shall be empowered to frame rules and regulations from time to time *inter-alia* providing for the conditions to be complied with by an applicant before he would be entitled to quotas. It shall also have the right to withhold or cancel quotas and reject applications for quotas without assigning any reasons.

11. The address of the Cotton Textiles Export Promotion Council is as follows:—

“ENGINEERING CENTRE”
5th Floor, 9, Mathew Road, Bombay-4.
9, Mathew Road,
BOMBAY-4.

विषय.—लाइसेंस वर्ष 1974 के दौरान पोशाकों और तैयार वस्तुओं सहित भारतीय मिल निर्मित सूती वस्त्रों का डेनमार्क तथा आयरलैंड (आइरिश गणराज्य) को निर्यात के लिए लाइसेंस देने से सम्बन्धित योजना ।

सं० 2 —ई०टी०सी० (पी०एन०) /74 —यह योजना लाइसेंस वर्ष 1 जनवरी, 1974 से 31 दिसम्बर 1974 के दौरान भारत से डेनमार्क तथा आयरलैंड को सभी किस्म के मिल निर्मित सूती वस्त्रों, तैयार वस्त्र और तैयार पोशाकों के निर्यात से सम्बन्ध रखती है ।

2. लाइसेंस देने के विषय में पोतलदान की अवधि को 1 जनवरी, 1974 से 30 जून, 1974, तथा 1 जुलाई, 1974 से 31 दिसम्बर, 1974 तक छः छः माह की दो अवधियों में बांटा जाएगा ।

3. इस योजना के अन्तर्गत लाइसेंस संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात के कार्यालय बम्बई द्वारा ई ई सी—आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की सिफारिश पर सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई द्वारा जारी किए गए कोटा प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किए जाएंगे ।

4. निर्यातों और कोटे/लाइसेंसों को जारी करने के लिए सूती वस्त्रों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है :—

वर्ग 1.—सूती वस्त्र, भूरे या विरंजित रेशमी सा बनाया हुआ या बिना विरंजित रेशमी सा बना हुआ । वर्ग 1 में नीचे लिखी श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत मदें आती हैं :

बी०, बी० 1, बी 2, बी 3, बी 4, बी 5, बी 6, बी 7, बी 8, सी तथा सी 1 ।

वर्ग 2 में नीचे लिखी श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली मदें आती हैं :—

वर्ग 2.—अन्य सूती वस्त्र, तैयार सामग्री और सूती की विविध सामग्री :

सी 2, सी-3, सी-4, सी-5, सी-6, सी-7, डी डी-1, डी-2, डी-3, डी-4; डी-5, डी-6, डी-7, डी-8, डी-9, डी-10, डी-11, एफ, एफ-1, एफ-2, एफ-3, तथा एफ-4 ।

उपर्युक्त श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली मदों का विवरण वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के यहां मानकीकृत वर्गीकरण के रूप में और उनके अन्तर्गत आने वाली मदों के रूप में उपलब्ध है ।

5. करार के अनुसार डेनमार्क और आयरलैंड में सूती वस्त्रों के आयात की अनुमति केवल सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई द्वारा जारी किए गए ग्रीन मार्टीफिकेट के प्रस्तुतीकरण पर ही सम्बद्ध समर्थ प्राधिकारियों द्वारा दी जाएगी, जिसके आधार पर डेनिश और आइरिश प्राधिकारी आयात लाइसेंस जारी करेंगे ।

6. लाइसेंस भारत के किसी भी पत्तन के पोतलदान के लिए वैध होंगे ।

7. ई० टी० सी० आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की लिखित रूप में स्पर्त स्वीकृति के बिना लाइसेंस और कोटे हस्तांतरणीय नहीं होंगे ।

8. कोटा जारी करने के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा प्रति टन 10 रु० के हिसाब से एक अदेय शुल्क वसूल किया जाएगा और यह न्यूनतम 5 रुपये के अधीन होगा ।

९ सभी कोटाधारी जिनको अलग अलग लाइसेंस जारी किए गए हैं, उसके लिए उन्हें पोतलदान का विवरण देने हुए, सूतीवस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ये रिपोर्ट परिषद के पास अनुवर्ती मास की 10 तारीख तक पहुंच जाने चाहिए।

10. ई० ई०सी० आस्ट्रिया वस्त्र मलाहकार समिति के ये कार्य होंगे (क) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण करना, (ख) समय समय पर कार्य पालन की निगरानी रखना, (ग) योजना के परिचालन से सम्बन्धित उत्पन्न विभिन्न मामलों का विवेचन करना और निर्णय देना तथा (घ) योजना में समय समय पर ऐसे परिवर्तन करना जिसे समिति उपयुक्त समझे। कोटा प्राप्त करने के लिए पात्र बनने से पहले की शर्तों का आवेदक से पालन कराने के साथ-साथ लाइसेंस समिति समय-समय पर नियम तथा विनियम बनाव के लिए अधिकृत है। उसे यह भी अधिकार होगा कि वह कोटा को रोक नै या उसे रद्द कर दे और बिना किसी कारण के समनदेशित किए ही कोटा के लिए दिए गए आवेदन पत्र को रद्द करदे।

11. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का पता निम्नलिखित है :—

“इंजीनियरिंग सेन्टर”,

5वीं मंजिल,

9, मैथ्यू रोड,

बम्बई-4.

SUBJECT.—*Scheme for the licensing of Indian millmade cotton textiles including garments and made-ups for export to WEST GERMANY during the licensing year 1974.*

No. 3-ETC(PN)/74.—The Scheme relates to the export of all varieties of mill-made cotton fabrics, made-up items and readymade garments made out of mill-made fabrics from India to WEST GERMANY during the licensing year 1st January, 1974 to 31st December, 1974.

2. For purpose of licensing the shipment period will be divided into two six-monthly periods, 1st January, 1974 to 30th June, 1974 and 1st July, 1974 to 31st December, 1974.

3. Licences under the Scheme shall be issued by the Office of the Jt. Chief Controller of Imports & Exports, Bombay, on the basis of quota certificates issued by The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on the recommendations of the EEC-Austria Textiles Licensing Advisory Committee.

4. For the purpose of exports and issuance of quotas/licences, cotton textiles have been divided into the following two groups:—

Group I:—Cotton fabrics, grey or bleached mercerised or not:

Group I covers items classified under categories B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C and C1.

Group II:—Other cotton fabrics, made-up articles and miscellaneous articles of cotton:

Group II covers items falling under categories C2, C3, C4, C5, C6, C7, D, D1, D2, D3, D4, E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, F, F1, F2, F3 and F4.

Details of the items falling under the above categories are available with the Texprocil in the form of standardised categories and items falling under the same.

5. According to the agreement, imports of cotton textiles into West Germany will be admitted by the competent West German Authorities only on presentation of the Green Certificates issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on the basis of which West German Authorities would issue import licence.

6. Licences shall be valid for shipment from any port in India.

7. Licences and quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the E.E.C. and Austria Textiles Licensing Advisory Committee.

8. A non-refundable charge of Rs. 10 per ton will be levied by the Cotton Textiles Export Promotion Council for the issue of quotas, subject to a minimum of Rs. 5.

9. All quota holders shall have to submit a monthly report to The Cotton Textiles Export Promotion Council, giving details of the shipment against individual licences issued to them. These statements should reach the Council by the 10th of the subsequent month.

10. The E.E.C.-Austria Textiles Licensing Advisory Committee shall (a) supervise the entire scheme; (b) keep a watch over the performance from time to time; (c) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the scheme; and (d) make such changes in the scheme as the Committee deems fit from time to time. The Licensing Committee shall be empowered to frame rules and regulations from time to time, *inter-alia* providing for the conditions to be complied with by an applicant before he would be entitled to quotas. It shall also have the right to withhold or cancel quotas and reject applications for quotas without assigning any reasons.

11. The address of The Cotton Textiles Export Promotion Council is as follows:—

“ENGINEERING CENTRE”
5th Floor,
9, Mathew Road,
BOMBAY-4.

S. G. BOSE MULLICK,

Chief Controller of Imports & Exports.

विषय :—साइसेंस वर्ष 1974 के दौरान पश्चिमी जर्मनी को पहनावे तथा तैयार माल सहित भारतीय मिल निर्मित सूती वस्त्रों के निर्यात के लिए लाइसेंस देने से सम्बन्धित योजना ।

सं० 3 ई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—यह योजना पहली जनवरी, 1974 से 31 दिसम्बर, 74 तक के लाइसेंस वर्ष के दौरान पश्चिमी जर्मनी को भारत से सभी प्रकार के मिल निर्मित सूती वस्त्रों, तैयार मदों और मिल निर्मित वस्त्रों से बने हुए तैयार पहनावों के निर्यात से सम्बन्ध रखती है ।

2. लाइसेंस प्रदान किए जाने के विचार से पोटलदान की अवधि को पहली जनवरी 1974 से 30 जून, 1974 तक और पहली जुलाई, 1974 से 31 दिसम्बर, 1974 तक की दो छहमाहियों में बांटा जाएगा ।

3. इस योजना के अन्तर्गत लाइसेंस ई०ई०सी०—आस्ट्रीया वस्त्र लाइसेंस परामर्श दायी समिति की सिफारिश पर सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई द्वारा जारी किए गए कोटा प्रमाण के आधार पर संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, बम्बई द्वारा जारी किया जाएगा ।

4. निर्यातों और कोटा-लाइसेंसों को जारी करने के लिए सूती वस्त्रों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभक्त किया गया है :—

वर्ग 1.—सूती वस्त्र, भूरे या विरजित रेशमी सा बनाया हुआ या बिना विरजित रेशमी सा बना हुआ । वर्ग 1 में नीचे लिखी श्रेणियों के अन्तर्गत वर्गीकृत मदें आती हैं :

बी, बी1, बी2, बी3, बी4, बी5, बी6, बी7, बी8, सी तथा सी-1 ।

बर्ग 2.—अन्य सूती वस्त्र, तैयार सामग्री और सूती की विविध सामग्री ।

वर्ग 2 में नीचे लिखी श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली मदें आती हैं:

सी2, सी3, सी4, सी5, सी6, सी7, डी, डी1, डी2, डी3, डी4, ई, ई1, ई2,
ई3, ई4, ई5, ई6, ई7, ई8, ई9, ई10, ई11, एफ, एफ1, एफ2
एफ3, तथा एफ 4 ।

उपर्युक्त श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली मदों का विवरण वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के यहां मानकी-
कृत वर्गीकरण के रूप में और उनके अन्तर्गत आने वाली मदों के रूप में उपलब्ध है ।

5. करार के अनुसार पश्चिमी जर्मनी में सूतीवस्त्रों के आयात की अनुमति केवल सूती
वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई द्वारा जारी किए गए ग्रीन सर्टीफिकेट के प्रस्तुतीकरण पर ही
सम्बद्ध समर्थ पश्चिमी जर्मन प्राधिकारियों द्वारा दी जाएगी, जिसके आधार पर पश्चिमी जर्मन
प्राधिकारी आयात लाइसेंस जारी करेंगे ।

6. लाइसेंस भारत के किसी भी पत्तन से पोतलदान के लिए वैध होंगे ।

7. ई० ई० सी० आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की लिखित रूप में स्पष्ट
स्वीकृति के बिना लाइसेंस और कोटे हस्तांतरणीय नहीं होंगे ।

8. कोटा जारी करने के लिए सूतीवस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रति टन 10 रुपये
के हिसाब से एक अवेय शुल्क वसूल किया जाएगा और यह न्यूनतम 5 रुपये के अधीन होगा ।

9. सभी कोटाधारी जिन को अलग-अलग लाइसेंस जारी किए गए हैं, उसके लिए उन्हें
पोतलदान का विवरण देते हुए सूतीवस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत
करनी पड़ेगी । ये रिपोर्ट परिषद के पास अनुषर्ती मास की 10 तारीख तक पहुंच जाने चाहिए ।

10. ई० ई० सी० आस्ट्रिया वस्त्र सलाहकार समिति के ये कार्य होंगे (क) सम्पूर्ण योजना
का पर्यवेक्षण करना, (ख) समय-समय पर कार्य पालन की निगरानी रखना, (ग) योजना के परिचालन
से सम्बन्धित उत्पन्न विभिन्न मामलों का विवेचन करना और निर्णय देना तथा (घ) योजना में
समय समय पर ऐसे परिवर्तन करना जिसे समिति उपयुक्त समझे । कोटा प्राप्त करने के लिए पात्र
बनने से पहले की शर्तों का आवेदक से पालन कराने के साथ-साथ लाइसेंस समिति समय समय पर
नियम तथा विनियम बनाने के लिए अधिकृत है । उसे यह भी अधिकार होगा कि वह कोटा
को रोक ले या उसे रद्द कर दे और बिना किसी कारण के समनुवैशित किए ही कोटा के लिए दिए
गए आवेदन पत्र को रद्द कर दे ।

11. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का पता निम्नलिखित है —

“इंजीनियरिंग सेन्टर”,

5वीं मंजिल,

9, मैथ्यू रोड,

बम्बई-4 ।

एस० जी० बोस मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।